अनुसूची 14 — फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

1

| | | |
|---|---|---|
| 07<br>08.06.2023 | **न्यायालय उपायुक्त, रॉची**<br><br>अधिहरण वाद सं० 14 आर० 28/2022—23<br><br>राज्य<br><br>बनाम<br><br>1. मनसा महतो पिता रामधन महतो निवासी कटहर टोली, एन० एच० 33 के पास, बुण्डू, थाना बुण्डू, जिला रॉची<br>2. तेजु महतो पिता स्व० रामधन महतो निवासी कटहर टोली, एन० एच० 33 के पास, बुण्डू, थाना बुण्डू, जिला रॉची ...... विपक्षी<br><br>आदेश<br><br>प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉची के ज्ञापांक सं0 2958/अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 09.06.2022 द्वारा दसमफॉल थाना कांड सं0—12/22, दिनांक 25.03.2022, धारा 379 भा० द० वि०, 4/21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act 1957 (Amendment Rule 2015), 54 J.M.M.C Rules 2004 (Amendment Rules) and 4/9/13 The Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining transportation and storage) Rules 2017 मे जप्त वाहन सं० — JH-05CK-8208 एवं JH-05CJ-2385 जो क्रमशः विपक्षी सं० 1 एवं 2 के नाम से निबंधित है, उसको राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।<br><br>पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रॉची द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन के अनुसार — वादी श्री राजेश डुंगडुंग अँचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा एन० एच० 33 —रॉची —टाटा रोड मे ग्राम नावाडीह के पास उपरोक्त हाईवा वाहन सं० —JH-05CK-8208 एवं JH-05CJ-2385 को बालु का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ कर प्राथमिकी दर्ज कराया, जो दसमफॉल थाना कांड सं0—12/22, दिनांक 25.03.2022, धारा 379 भा० द० वि०, 4/21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act 1957 (Amendment Rule 2015), 54 J.M.M.C Rules 2004 (Amendment Rules) and 4/9/13 The Jharkhand minerals (Prevention of illegal mining transportation and storage) Rules 2017 तौर पर अंकित किया | |

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



गया है।

विपक्षी को निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी इस न्यायालय मे उपस्थित तो हुए, परन्तु उनके द्वारा इस वाद मे कोई कारण पृच्छा समर्पित नही किया गया है। विगत तिथि को भी बार बार पुकार करने पर भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नही हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद के संचालन मे कोई अभिरूचि नही है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उपरोक्त जप्त वाहन को मुक्त करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य या आधार प्रस्तुत नही किया गया है। उनके द्वारा बालु परिवहन संबंधी कोई वैध कागजात भी प्रस्तुत नही किया गया है। स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहनो मे बालू (लघु खनिज) के अवैध परिवहन से सरकारी राजस्व को क्षति पहुँची है। पर्यवेक्षण टिप्पणी से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी जॉच मे सहयोग नही कर रहे है, तथा फरार है।

अतः पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रॉची द्वारा अग्रसारित अनुशंसा के आधार पर दसमफॉल थाना कांड सं0–12/22, दिनांक 25.03.2022, मे जप्त वाहन सं०–JH-05CK-8208 एवं JH-05CJ-2385 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

Rahul

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 13:24:35 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d